

चौधरी चरण सिंह कावड मार्ग के निर्माण में जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत अपर गंग नहर की दांयी पटरी के किमी० चैनेज 151.050 से किमी० चैनेज 163.40 तक सडक के नवनिर्माण के सम्बन्ध में एन०पी०वी०

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एन०पी०वी० के रूप में चौधरी चरण सिंह कावड मार्ग के निर्माण में जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत अपर गंग नहर की दांयी पटरी के किमी० चैनेज 151.050 से किमी० चैनेज 163.40 तक सडक के नवनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली संरक्षित वन भूमि 24.70 हे० संरक्षित वन भूमि हेतु इको जोन क्लास-III ऑपन फॉरेस्ट (वेरी डेन्स फॉरेस्ट) रू० 8,87,000.00 प्रति हे० की दर से रू० 2,19,08,900.00 की धनराशि का भुगतान लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद द्वारा जमा की जायेगी तथा भविष्य में यदि एन०पी०वी० की जो भी दर निर्धारित होती है तो उक्त बढी हुयी धनराशि भी लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद द्वारा जमा की जायेगी।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वी०
गाजियाबाद


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।